11.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत आयोजन में
आज जेल केन्द्र प्रा.पि. पांजला रकुड़ में
पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
विपक्षीगण को भारी लोक अदालत नोटिस
तामील रजिस्ट्री प्राप्त हुए। विपक्षीगण बावजूद
सम्मन के हाजिर नहीं होने से एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील
प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण
का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश
पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और
शामिल मिसल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 104/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गिरधारीराम पुत्र मोडाराम		1. चेला पुत्र खंगार
2. पदमाराम पुत्र मोडाराम		2. लिखमा पुत्र खंगार
3. बाबूलाल पुत्र मोडाराम		3. विरधा पुत्र खंगार
4. चम्पालाल पुत्र पूनमाराम		4. किस्तुराराम पुत्र कुंपा
5. मंगलाराम पुत्र पूनमाराम		5. नरसिंगाराम पुत्र कुंपा
6. झीमो देवी पत्नी पूनमाराम		6. समरथाराम पुत्र कुंपा
7. तारी देवी पत्नी अरविन्द		7. खीमाराम पुत्र कुंपा
8. पुष्पा पुत्री अरविन्द		8. झीणी पत्नी कुंपा
9. धापू पुत्री अरविन्द		9. शंकर पुत्र प्रतापाराम
10. दिव्या पुत्री अरविन्द		10. मोहन पुत्र प्रतापाराम
11. राधा पुत्री अरविन्द		11. चेतन पुत्र प्रतापाराम
12. शान्ता पुत्री अरविन्द		12. झमू देवी पत्नी प्रतापाराम
जाति मेगवाल निवासी–		13. पूनमा पुत्र पेमा
पांयला खूर्द तहसील		14. वजा पुत्र पेमा
सिणधरी व जिला बाड़मेर		जाति कलबी निवासी पांयला
(प्रार्थी संख्या 8 से 12 नाबालिग		खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
की कुदरती वली माता तारी देवी)		15. मांगा पुत्र नारणा
		16. गणेशा पुत्र लाखा
		जाति रबारी निवासी पांयला
		खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
		17. अल्लादीन पुत्र जानी खां
		जाति मुसलमान कुम्हार निवासी
		पांयला खुर्द तहसील सिणधरी जिला
		बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

18. महेन्द्र पुत्र तगतमल
जाति ओसवाल निवासी पायंला कलां
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

19. सोहनलाल पुत्र धर्माराम
जाति जाट निवासी सारणों का तला
(आडेल) तहसील सिणधरी जिला
बाड़मेर

20. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

<u>आदेश</u>

उपस्थितः–1.श्री डालूराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

...त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/2, 272/8 रकबा क्रमशः 24–10, 14–12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner